



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 12 सन् 2026

आनंद कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नागेंद्र कुमार मिश्रा

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि उत्तरदाता संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील-फूलापुर, परगना-सिकंदरा, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अधीन वाद संख्या 85 सन् 2020 को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देना है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन निहित प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के आवेदनों पर समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

"(7). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से, यथासंभव, तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 2 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3), में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय करे, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

फ़रवरी 9, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"